झारखण्ड उच्च न्यायालय राँची

(लेटर्स पेटेन्ट अपीलीय अधिकारिता)

एल0पी0ए0 सं0 547 वर्ष 2023

इन्दू भूषण सिंह, उम्र लगभग 52 वर्ष, पुत्र स्व0 राम प्रसाद सिंह निवासी- गाँव वहीमारी, डाकखाना तथा थाना- नगर उंतारी, जिला- गढ़वा।

....अपीलकर्ता

बनाम

1. झारखण्ड राज्य
2. आयुक्त, पलामू मंडल कार्यालय मेदनीनगर डाकखाना तथा थाना- मेदनीनगर, जिला- पलामू
3. उपायुक्त, गढ़वा कार्यालय गढ़वा, डाकखाना तथा थाना-गढ़वा, जिला गढ़वा
4. उप विकास आयुक्त, गढ़वा कार्यालय गढ़वा, डाकखाना तथा थाना- गढ़वा, जिला गढ़वा
5. उप कलेक्टर (स्थापन) गढ़वा, कार्यालय गढ़वा, डाकखाना तथा थाना- गढ़वा जिला- गढ़वा
6. उप खण्ड अधिकारी, गढ़वा कार्यालय गढ़वा, डाकखाना तथा थाना- गढ़वा, जिला-गढ़वा
7. प्रखण्ड विकास अधिकारी, गढ़वा, कार्यालय गढ़वा डाकखाना तथा थाना-गढ़वा, जिला- गढ़वा।

... उत्तरदातागण

कोरम: मा0 कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति

मा0 श्री न्यायमूर्ति अरूण कुमार राय

अपीलकर्ता के लिए : श्री राजीव रंजन तिवारी, अधिवक्ता

श्री रंजीत कुमार तिवारी, अधिवक्ता

सुश्री कविता सिंह, अधिवक्ता

झारखण्ड राज्य के लिए: श्री रवी केरकेत्ता एससी- VI

श्री पियूष आनंद, एसी से एससी- VI

----

9 फरवरी 2024

द्वारा, श्री चन्द्रशेखर, कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति,

अपीलकर्ता ने रिट याचिका (सेवा) सं0 7007 वर्ष 2019 में पारित रिट न्यायालय के आदेश दिनांक 18 मई 2023 को प्रमुख रूप से इस आधार पर चुनौती दिया है कि रिट न्यायालय के शक्तियों पर निर्वन्धन पूर्ण नही हैं तथा रिट न्यायालय दुर्भावना, अनुचितता, आनुपातिकता तथा इसी प्रकृति के अन्य भली भाँति ज्ञात आधारो के आधार पर अनुशासनिक कार्यवाही मे पारित आदेश मे हस्तक्षेप कर सकता है।

2. अपीलकर्ता जिसे 4 सितम्बर 1995 को सहायक के पद पर नियुक्त किया गया था को नजारत से कपटपूर्ण निकाले गये 29 चेक के पन्नो के द्वारा रू0 79,92,465.00 के दुर्विनियोग के अभिकथन पर आरोप-मेमो दिनांक 8 मई 2013 तामील कराया गया था। यह अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत ऐसा मामला है कि इसे नगर उन्तारी प्रखण्ड से गढ़वा मे स्थानान्तरित किया गया था जहाँ इसने 21 जनवरी 2012 को अपना कार्यभार सभाला था तथा नजारत में नाजिर के रूप मे कार्य किया था। इसे सामान्य नकद रजिस्टर का प्रभार सौपा गया था लेकिन चेक बुक रजिस्टर सहित अन्य रजिस्टरो को इसे नही दिया गया था। 5 मई, 2012 को, इसने प्रखण्ड विकास अधिकारी को लिखित सूचना दिया था कि चेक बुक से कई पन्ने नजारत से गायब है तथा इस आधार पर गढ़वा थाना मामला सं0 141 वर्ष 2012 द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट भारतीय दण्ड संहिता की धारा 406, 409, 420, 467, 468, 471 तथा 120ख के अधीन पंजीकृत किया गया था। इस आपराधिक मामले में अपीलकर्ता को 9 मई 2012 को अभिरक्षा में लिया गया था तथा आदेश दिनांक 8 मई, 2012 द्वारा निलम्बन मे रखा गया था। जाँच अधिकारी के समक्ष, अपीलकर्ता ने समान आधार लिया था कि नकद रजिस्टर के अलावा चेक बुक रजिस्टर सहित अन्य महत्वपूर्ण रजिस्टरो को इसे सौपा नही गया था। इस आधार की पुष्टि करने के लिए, अपीलकर्ता ने उपायुक्त गढ़वा द्वारा गठित जांच समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 2 जून 2012 को पेश किया था। फिर भी जॉच अधिकारी ने यह धारित करते हुए 9 सितम्बर 2014 को रिपोर्ट प्रस्तुत किया था कि अपीलकर्ता का आचरण आशंका के परे नही था। अपीलकर्ता ने दूसरे कारण बताओ नोटिस दिनांक 12 मार्च 2015 के संबंध मे आना जवाब प्रस्तुत करते हुए इसमे प्रतिकूल निष्कर्षो का खण्डन किया था। फिर भी, अनुशासनिक प्राधिकारी ने 2 जुलाई 2018 को सेवा से बरखास्तगी का आदेश पारित किया था तथा अपीलीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 21 अक्टूबर 2019 द्वारा इसके अपील को खारिज किया था।

3. रिट न्यायालय के समक्ष, अपीलकर्ता ने इस आधार पर जॉच रिपोर्ट तथा घरेलू जाँच के जारी रहने को चुनौती दिया था कि घरेलू जाँच तथा दाण्डिक कार्यवाहियों दोनो मे इसके विरूद्ध अभिकथन एक ही है तथा इसलिए आपराधिक मामले मे अंतिम निर्णय तक घरेलू जाँच का आस्थगित किया जाना आवश्यक है। जाँच रिपोर्ट दिनांक 9 सितम्बर 2014 की आलोचना इस आधार पर की गई है कि यह गूढ़ है तथा जाँच अधिकारी की ओर से मस्तिष्क का प्रयोग न किया जाना परिलक्षित होता है तथा यह अटकलो एवं अनुमानो पर आधारित है।

4. रिट न्यायालय ने *"भारत संघ बनाम पी0 गुणासेकरन (2015) 2 एससीसी 610" बिहार राज्य तथा अन्य बनाम फूलपरी कुमारी (2020) 2 एससीसी 130, " प्रवीण कुमार बनाम भारत संघ तथा अन्य (2020) 9 एससीसी 471," एसबीआई बनाम अजय कुमार श्रीवास्तव (2021) 2 एससीसी 612 तथा "यूको बैंक बनाम कृष्णाकुमार भारद्वाज (2022) 5 एससीसी 695 मे निर्णयो को निर्दिष्ट करने के बाद दण्ड आदेश मे हस्तक्षेप न करने की राय बनाया था। रिट याचिका को खारिज करते हुए, रिट न्यायालय ने अपीलकर्ता के विरूद्ध पारित दण्डादेश मे हस्तक्षेप न करने के निम्न कारणो को लेखबद्ध किया था:*

> "8. बहरहॉल पक्षकारो के प्रतिद्वन्द्वी निवेदनो की परीक्षा करने के पश्चात तथा अभिलेखों के परिशीलन के बाद, ऐसा प्रतीत होता है कि याची को आरोपो का दोषी पाया गया हैं तथा आरोपो को नियमित विभागीय कार्यवाही में सम्यक् साबित किया गया है। अनुशासनिक अधिकारी के आदेश की पुष्टि अपीलीय अधिकारी द्वारा किया गया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन बैठने वाला यह न्यायालय स्वयं के साक्ष्यों का पुर्नमूल्यांकन से रोकता है, जिसका मूल्यांकन पहले ही अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा जाँच में किया गया है तथा तत्पश्चात् पूरा अवसर देते हुए, दण्डादेश पारित किया गया है। न्यायालय उन निष्कर्षो को प्रतिस्थापित नही कर सकता है जो जाँच अधिकारी या अनुशासनिक प्राधिकारी से आया है।
>
> 9. मा0 शीर्ष न्यायालय ने (2015) 2 एससीसी 610 में संप्रकाशित भारत संघ बनाम पी0 गुणासेकरन के मामले मे अभिनिर्धारित किया है कि:-
>
> > "12. सुस्थापित स्थिति के बावजूद, यह उल्लेख करना दुःखदायी परेशान करने वाला है कि उच्च न्यायालय ने जाँच अधिकारी के समक्ष साक्ष्य का पुर्नमूल्यांकन करते हुए भी अनुशासनिक कार्यवाहियो के अपीलीय प्राधिकरण के रूप में कार्य किया है। आरोप 1 पर निष्कर्ष को अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा स्वीकार किया गया था तथा केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा अनुमोदित किया गया था। अनुशासनिक कार्यवाहियों में, उच्च न्यायालय प्रथम अपील के द्वितीय न्यायालय के रूप में नही होता है तथा कार्य नही कर सकता है। उच्च न्यायालय, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के अधीन अपने शक्तियो के प्रयोग में साक्ष्य के पुर्नमूल्यांकन का जोखिम नही उठायेगा। उच्च न्यायालय मात्र यह देख सकता है कि क्या (क) जाँच समझ प्राधिकारी द्वारा किया गया है (ख) जाँच इस निमित्त विहित प्रक्रिया के अनुसार किया गया है (ग) कार्यवाहियों के संचालन मे नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तो का उल्लंघन किया गया है (घ) अधिकारीगण मामले के गुणावगुण तथा साक्ष्य से असंगत कुछ विचारो द्वारा निष्पक्ष निष्कर्ष पर पहुँचने से स्वयं असमर्थ हुए है (ङ) अधिकारियों ने स्वयं को असंगत या असंबद्ध विचारो द्वारा प्रभावित होने दिया है। (च) निष्कर्ष, प्रत्यक्षतः, इतना पूर्णतया मनमाना तथा मनमौजी है कि कोई विवेक सम्पन्न व्यक्ति कभी इस प्रकार के निष्कर्ष पर नही पहुँच सकता था (छ) अनुशासनिक अधिकारी त्रुटि पूर्वक ग्राहय तथा तात्विक साक्ष्य को स्वीकार करने मे असफल थे (ज) अनुशासनिक अधिकारी ने त्रुटिपूर्वक अग्राहय साक्ष्य को स्वीकार किया था जो

निष्कर्ष को प्रभावित किया था (झ) तथ्य का निष्कर्ष साक्ष्य पर आधारित नही है।

13. भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के अधीन, उच्च न्यायालय ;पद्ध साक्ष्य का पुर्नमूल्यांकन नही करेगा (i) जाँच के निष्कर्षो में हस्तक्षेप नही करेगा, (ii) यदि इसे विधि के अनुसार किया गया है। (iii) साक्ष्य के पर्याप्तता की जाँच नही करेगा (iv) साक्ष्य के विश्वसनीयता की जाँच नही करेगा (v) हस्तक्षेप नही करेगा, यदि कुछ विधिक साक्ष्य है जिस पर निष्कर्षो को आधारित किया जा सकता है। (vi) तथ्य के त्रुटि को ठीक नही करेगा भले ही यह गम्भीर प्रतीत होता हो (viii) दण्ड के आनुपातिकता की जाँच नही करेगा जब तक यह इसके अन्तःकरण को स्तब्ध न करता हो।

10. आगे, मा0 शीर्ष न्यायालय ने (2020) 2 एससीसी 130 मे संप्रकाशित बिहार राज्य तथा अन्य बनाम फूलपरी कुमारी के मामले में इस प्रकार अभिनिर्धारित किया है:

''6. प्रत्यर्थी के विरूद्ध आपराधिक विचारण सक्षम दाण्डिक न्यायालय द्वारा अभी भी विचाराधीन है। प्रत्यर्थी के सेवा से खारिजा का आदेश इसके द्वारा किये गये विभागीय जाँच के अनुसरण मे था। जाँच अधिकारी ने साक्ष्य की जाँच किया था तथा निष्कर्ष निकाला था कि प्रत्यर्थी द्वारा अवैध परितोषण का प्रतिग्रहण तथा माँग का आरोप साबित होता हैं। विद्वान एकल न्यायमूर्ति तथा उच्च न्यायालय के खण्डपीठ ने साक्ष्य का पुर्नमूल्यांकन करने में तथा इस निष्कर्ष पर आने मे त्रुटि किया था कि अभिलेख पर साक्ष्य प्रत्यर्थी के अपराध की ओर संकेत देने के लिए पर्याप्त नही है।

6.1 यह सुस्थापित विधि है कि विभागीय जाँच के अनुसरण में पारित आदेशों में हस्तक्षेप केवल ''साक्ष्य नही'' के मामले में किया जा सकता है। साक्ष्य की पर्याप्तता न्यायिक पुनर्विलोकन के क्षेत्र में नही होता है। सबूत का मानक जैसा दाण्डिक विचारण मे आवश्यक होता है विभागीय जाँच मे समान नही होता है। साक्ष्य के कठोर नियमों का अनुसरण दाण्डिक न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए जहाँ अभियुक्त के अपराध को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित किया जाना है। दूसरी तरफ, संभावनाओ की प्रबलता आरोप के अपचारी दोषी के निष्कर्ष में अपनाया गया कसौटी है।

6.2 उच्च न्यायालय को साक्ष्य की पुर्न जाँच करते हुए तथा अनुशासनिक अधिकारी के विचार से भिन्न विचार जो जाँच अधिकारी के निष्कर्षो पर आधारित था लेते हुए प्रत्यर्थी के बरखास्तगी के आदेश मे हस्तक्षेप नही करना चाहिए था।

11. (2020) 9 एससीसी 471 में संप्रकाशित प्रवीण कुमार बनाम भारत संघ एवं अन्य के मामले में मा0 शीर्ष न्यायालय के समक्ष विचारार्थ इसी तरह का विवाद्यक आया था, जिसमे न्यायूर्तिगण ने निम्नवत अभिनिर्धारित किया:-

''सेवा मामले मे न्यायिक पुनर्विलोकन की व्याप्ति

25. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने कमी तथा विरोधाभासो पर बल देने के आशय से हमे अभिलेख पर विभिन्न साक्ष्यों को पढ़वाने में काफी समय व्यतीत किया। हम महसूस करते है कि इस प्रकार की कवायद व्यर्थ है, क्योंकि वर्तमान कार्यवाहियो मे हस्तक्षेप का आरंभ काफी बड़ा है। अनुच्छेद 226 या 32 के अधीन संवैधानिक न्यायालयों द्वारा प्रयोग किये गये न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति या जब अनुच्छेद 136 के अधीन अपील मे बैठा है, विभागीय प्राधिकारी द्वारा प्रयोग

किये गये अपीलीय शक्ति से भिन्न है। यह खण्डन होगा कि न्यायिक पुनर्विलोकन निर्णय करने की प्रक्रिया का मूल्यांकन है तथा न कि स्वयं निर्णय का गुणावगुण। न्यायिक पुनर्विलोकन वर्ताव में निष्पक्षता सुनिश्चित करने की माँग करता है न कि निष्कर्ष की निष्पक्षता। इसका प्रयोग विधि या प्रक्रिया के स्पष्ट त्रुटियो को ठीक करने के लिए किया जाना चाहिए, जिसके परिणाम स्वरूप महत्वपूर्ण अन्याय या परिणाम का पक्षपात पूर्ण या सम्पूर्ण अयुक्तियुक्तता हो सकता है। (आंध्र प्रदेश राज्य बनाम मोहम्मद नरूरूल्ला खॉन (2006) 2 एससीसी 373 पैरा 11, 2006 एससीसी (एल एवं एस) 316)

12. आगे मा0 शीर्ष न्यायालय ने (2021) 2 एससीसी 612 मे संप्रकाशित एसबीआई बनाम अजय कुमार श्रीवास्तव के मामले में इस प्रकार अभिनिर्धारित किया हैः

''28. संवैधानिक न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 226 या अनुच्छेद 136 के अधीन न्यायिक पुनर्विलोकन के अपने अधिकारिता का प्रयोग करते हुए दुर्भावना या अनुचितता के मामले के सिवाय विभागीय जाँच कार्यवाहियो मे पहुँचे तथ्य के निष्कर्षो मे हस्तक्षेप नही करेगा अर्थात् जहाँ निष्कर्ष का समर्थन करने के लिए साक्ष्य नही है या जहाँ निष्कर्ष इस प्रकार का है कि युक्तियुक्त तरीके से तथा निष्पक्ष तरीके से कार्य करने वाला कोई व्यक्ति इस निष्कर्षो पर नही पहुँच सकता था तथा जब तक विभागीय प्राधिकारी द्वारा पहुँचे निष्कर्ष का समर्थन करने के लिए कुछ साक्ष्य न हो, इसे कायम रखा जाना चाहिए।''

13. हाल मे, मा0 शीर्ष न्यायालय ने यूको बैंक बनाम कृष्णाकुमार भारद्धाज (2022) 5 एससीसी 695 के मामले में निम्नवत अभिनिर्धारित किया है:-

17. भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 या अनुच्छेद 136 के अधीन संवैधानिक न्यायालयों द्वारा प्रभावोन्मुक्त विभागीय/ अपीलीय अधिकारियों द्वारा प्रयुक्त अनुशासनिक जांचो के मामले में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति विधि के त्रुटियों या प्रक्रियात्मक त्रुटियों को ठीक करने के सीमा तक सीमित है जिसके कारण स्पष्ट अन्याय या नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों का उल्लंघन हुआ है तथा यह गुणावगुण पर मामले के न्यायनिर्णयन के समान नही है क्योकि अपीलीय प्राधिकार जिसकी जाँच पहले इस न्यायालय द्वारा बी0 सी0 चतुर्वेदी बनाम भारत संघ (बी0सी0 चतुर्वेदी बनाम भारत संघ (1995) 6 एससीसी 749: 1996 एससीसी (एल एवं एस) 80) एच0पी0 सेव बनाम महेश दहिया (एच0पी0सेव बनाम महेश दहिया (2017) 1 एससीसी (एल एवं एस) 297) में तथा हाल में एस0 बी0आई0 भाई बनाम अजय कुमार श्रीवास्तव (एसबीआई बनाम अजय कुमार श्रीवास्तव (2021) 2 एससीसी 612 (2021) 1 एससीसी (एल एवं एस) 457) में इस न्यायालय (जिसमे हममे एक सदस्य है) के तीन जजों के पीठ द्वारा किया गया है जिसमे इस न्यायालय ने निम्नवत अभिनिर्धारित किया है (एससीसी पे0 626-27, पैरा 24-28)

24. इस प्रकार यह सुस्थापित है कि संवैधानिक न्यायालयों के न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति निर्णय करने की प्रक्रिया का मूल्यांकन है न कि स्वयं निर्णय का गुणावगुण । इसे बर्ताव में निष्पक्षता, सुनिश्चित करना होता है न कि निष्कर्ष के निष्पक्षता को सुनिश्चित करना। न्यायालय/अधिकरण अपचारी के विरूद्ध किये गये कार्यवाहियों मे हस्तक्षेप कर सकता है यदि यह किसी प्रकार से नैसर्गिक न्याय के नियमावली से असंगत है या जाँच के ढंग को विहित करने वाले कानूनी नियमों के उल्लंघन मे है या जहाँ अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा पहुँचा निष्कर्ष या निर्णय साक्ष्य पर आधारित नही है। यदि निष्कर्ष या निर्णय

इस प्रकार का है कि कोई विवेक सम्पन्न व्यक्ति कभी पहुँचा न होगा या जहाँ अनुशानिक प्राधिकारी द्वारा पहुँचे साक्ष्य के बारे में विचार करने के पश्चात निष्कर्ष अनुचित है या अभिलेख को देखते ही स्पष्ट त्रुटि से ग्रसित है या पूर्णतया किसी साक्ष्य पर आधारित नही है, उत्प्रेषण रिट जारी किया जा सकता है। सार संक्षेप में, न्यायिक पुनर्विलोकन के व्याप्ति को वस्तुतः प्राधिकारी के निर्णय के विशुद्धता या युक्तियुक्तता के जाँच तक विस्तारित नही किया जा सकता है।

25. जब अनुशासनिक जाँच लोक सेवक के विरूद्ध अभिकथित कदाचार हेतु किया जाता है, न्यायालय को जाँच तथा अवधारित करना पड़ता है (i) क्या जाँच सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया था (ii) क्या नैसर्गिक न्याय के नियमों का अनुपालन किया गया है (iii) क्या निर्णय या निष्कर्ष कुछ साक्ष्य पर आधारित है तथा प्राधिकारी के पास तथ्य के निष्कर्ष या परिणाम तक पहुँचने के लिए शक्ति तथा अधिकारिता है।

26. यह सुस्थापित है कि जहाँ जाँच अधिकारी अनुशासनिक प्राधिकारी नही होता है, जाँच की रिपोर्ट प्राप्त करने के पश्चात्, अनुशासनिक अधिकारी पहले द्वारा लेखबद्ध निष्कर्षो से सहमत हो सकता है या सहमत नही हो सकता है, असहमति के मामले में अनुशासनिक प्राधिकारी को असहमति हेतु कारणों को लेखबद्ध करना पड़ता है तथा अपचारी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् अपने स्वयं के निष्कर्षो को लेखबद्ध कर सकता है यदि अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य इस प्रकार के प्रयोग हेतु पर्याप्त हो या नही तो आगे के जाँच हेतु मामला जाँच अधिकारी को भेज सकता है।

27. यह सत्य है कि साक्ष्य का कठोर नियम विभागीय जाँच कार्यवाहियों के संबंध में लागू नही होता है। फिर भी, विधि की एक मात्र शर्त यह है कि अपचारी के विरूद्ध अभिकथन को इस प्रकार के साक्ष्य द्वारा साबित किया जाना चाहिए जिस पर कार्यवाही करते हुए विवेक सम्पन्न व्यक्ति युक्तियुक्त तरीके से तथा निष्पक्ष दृष्टि से कार्यवाही करते हुए अपचारी कर्मचारी के विरूद्ध आरोप के गम्भीरता की पुष्टि करते हुए निष्कर्ष पर पहुँच सकता है। यह सत्य है कि मात्र अटकल या अनुमान विभागीय जाँच कार्यवाहियों मे भी अपराध के निष्कर्ष को कायम नही रख सकता है।

28. संवैधानिक न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 226 या अनुच्छेद 136 के अधीन न्यायिक पुनर्विलोकन के अपने अधिकारिता का प्रयोग करते हुए विभागीय जाँच कार्यवाहियो में पहुँचे तथ्य के निष्कर्षो में हस्तक्षेप नही करेगा सिवाय दुर्भावना या अनुचितता के मामले के अर्थात् जहाँ निष्कर्ष का समर्थन करने के लिए साक्ष्य नही है या जहाँ निष्कर्ष इस प्रकार का है कि युक्तियुक्त तथा निष्पक्ष दृष्टि से कार्यवाही करने वाला व्यक्ति उस निष्कर्षो पर नही पहुँच सकता था तथा जब तक विभागीय प्राधिकारी द्वारा पहुँचे निष्कर्ष का समर्थन करने के लिए कुछ साक्ष्य है, इसे कायम रहना चाहिए''

"14. पूर्वोक्त नियमावली, दिशा निर्देश तथा न्यायिक निर्णय के संचित परिणाम के रूप में, रिट याचिका सभी गुणावगुण से रहित है तथा इस प्रकार इसे एतद्द्वारा खारिज किया जाता है।''

5. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री राजीव रंजन तिवारी ने निवेदन किया है कि रिट न्यायालय ने अपीलकर्ता की ओर से उठाये गये अभिवाक् पर निष्कर्ष लेखबद्ध न करने में विधि में गम्भीर त्रुटि किया है तथा मात्र इस आधार पर मामले में हस्तक्षेप करने से इंकार किया है कि संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन अधिकारिता के प्रयोग में रिट न्यायालय को स्वयं को घरेलू जाँच में दिये गये साक्ष्य का पुर्नमूल्यांकन करने से रोकना चाहिए। अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया है कि अपीलकर्ता के विरूद्ध घरेलू जाँच में कोई साक्ष्य पेश नही किया गया था तथा इसके विरूद्ध किसी साक्षी ने भी अभिसाक्ष्य नही दिया था लेकिन संदिग्ध आचरण या निष्कर्ष जाँच अधिकारी द्वारा मात्र पूर्वानुमान पर लेखबद्ध किया गया है। स्पष्ट रूप से कहा जाय तो अपीलकर्ता की ओर से आग्रह किया गया अभिवाक् यह है कि रिट न्यायालय ने दण्ड आदेश दिनांक 2 जुलाई 2018 में स्पष्ट अनुचितता की अनदेखी किया था जो पूर्णतया प्रारंभिक जाँच रिपोर्ट दिनांक 1 जून 2012 की अनदेखी करता है जिसमे जाँच समिति ने स्पष्ट निष्कर्ष लेखबद्ध किया था कि चेक बुक, चेक पंजी तथा नजारत मे अन्य महत्पूर्ण दस्तावेजो को अपीलकर्ता को सौंपा नही गया था। दूसरी तरफ विद्वान राज्य अधिवक्ता श्री रवी केरकेत्ता ने निवेदन किया है कि अपीलकर्ता के विरूद्ध आरोप प्रकृति में काफी गम्भीर था तथा नाजिर होने के नाते अपीलकर्ता के पास नजारत का सम्पूर्ण प्रभार था तथा इसलिए मात्र यह कहते हुए आरोप से नही बच सकता है कि चेक बुक रजिस्टर सहित महत्वपूर्ण रजिस्टरो को इसे सौपा नही गया था।

6. विभागीय प्राधिकारी द्वारा लेखबद्ध निष्कर्षो मे हस्तक्षेप करने की रिट न्यायालय की शक्तियाँ काफी सीमित है। ऐसे मामलो के सिवाय जहाँ विभागीय प्राधिकारी को यह निष्कर्ष दिया गया पाया गया है जो साक्ष्य पर आधारित नहीं है या साक्ष्य के महत्वपूर्ण भाग की अनदेखी करते हुए या असंगत सामग्री को ध्यान में रखते हुए, रिट न्यायालय समुचित तरीके से गठित विभागीय जाँच में पारित दण्ड के आदेश में हस्तक्षेप नही करेगा। निःसन्देह अपचारी सरकारी कर्मचारी के विरूद्व विभागीय प्राधिकारी द्वारा दण्ड का आदेश पारित करना विधिपूर्ण है परन्तु कुछ साक्ष्य हो। फिर भी, ऐसे मामले मे, जिसमे सेवा से बरखास्तगी का दण्ड अभिलेख पर सामग्री जैसे प्रारम्भिक जाँच रिपोर्ट की पूर्णतया अनदेखी करते हुए पारित किया गया है, न्यायालय को हस्तक्षेप करना चाहिए तथा विभागीय अधिकारी द्वारा किये गये त्रुटि को ठीक करना चाहिए।

7. *''कुलदीप सिंह बनाम पुलिस आयुक्त तथा अन्य'' (1999) 2 एससीसी 10 मे* मा0 उच्चतम न्यायालय ने निम्नवत अभिनिर्धारित किया है:

> ''6. यह निःसन्देह सत्य है कि उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के अधीन या यह न्यायालय अनुच्छेद 32 के अधीन प्रक्रिया के रूप में जाँच अधिकारी या अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा विभागीय जाँच मे लेखबद्ध निष्कर्षो में हस्तक्षेप नही करेगा। न्यायालय इस निष्कर्ष पर अपील में बैठ नही सकता है तथा अपीलीय प्राधिकारी की भूमिका अपना नही सकता। लेकिन इसका मतलब यह नही है कि न्यायालय हरगिज हस्तक्षेप नही कर सकता हैं। संविधान के अन्तर्गत उच्च न्यायालय को तथा इस न्यायालय को प्राप्त न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति घरेलू जाँच का सामना करता है तथा यह इसमे पहुँचे निष्कर्षो में हस्तक्षेप कर सकता है यदि निष्कर्ष का समर्थन करने के लिए साक्ष्य नही है या लेखबद्ध निष्कर्ष इस प्रकार का है जैसा सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति द्वारा पहुँचा नही जा सकता था या निष्कर्ष अनुचित था या वरिष्ठ अधिकारी के आदेशों पर किया गया था।"

8. घरेलू जाँच में, विभाग ने दस्तावेजी साक्ष्य जैसे गढ़वा थाना मामला सं0 141 वर्ष 2012 द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट, आपराधिक मामले मे तैयार अभिग्रहण-मेमो, सामान्य नकद पंजी की छायाप्रति, चेक पंजी की छायाप्रति, कृष्णाकुमार यादव तथा प्रमोद कुमार के लिखित कथनो तथा बैंक विवरणों को पेश किया है। यह प्रमोद कुमार का कथन है कि वह नजारत का भार साधक था तथा इसके पहले सतीश कुमार सिंह नजारत का भार साधक था तथा इसक अभिरक्षा में चेक बुक तथा चेक बुक पंजी था। घरेलू जाँच मे पेश इन सामग्रीयो/दस्तावेजो से सिर्फ यह संकेत मिलता है कि चेक के पन्ने गायब थे तथा इसका उपयोग करते हुए रू0 79,92,465.00 के धनराशि का दुर्विनियोग किया गया था। फिर भी, विभाग द्वारा किसी साक्षी को परीक्षित नही किया गया था जिससे यह प्रमाणित हो कि चेक बुक को अपीलाथी को सौंपा गया था या कि इसके पास चेक बुक की अभिरक्षा थी जिसमे 29 चेक पन्नो को गायब पाया गया था। जाँच अधिकारी ने उपायुक्त द्वारा गठित जाँच समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारम्भिक जाँच रिपोर्ट दिनांक 1 जून 2012 को निर्दिष्ट किया है लेकिन इसके लेखबद्ध निष्कर्षो पर विचार नही किया था। उक्त रिपोर्ट में, जाँच समिति ने स्पष्ट निष्कर्ष लेखबद्ध किया था कि सतीश सिंह वह व्यक्ति था जिसके अभिरक्षा में चेक बुक तथा चेक पंजी था तथा वह प्रखण्ड विकास अधिकारी के अनुदेशों पर कार्य कर रहा था।

9. जाँच समिति ने निम्न निष्कर्षो को लेखबद्ध किया है:

> ''जाँच के क्रम मे यह भी स्पष्ट होता है कि ग्रामीण बैंक के खाता संख्या 1426401237 के विरूद्ध निर्गत चेक सं0 122301 से 122400 मे से एक भी चेक

चेक का प्रयोग नही किया गया है उक्त चेक बुक अक्षत रहने के बावजूद इनमे से चेक सं0 122396 से 122400 गायब कर दिया गया है। उच्च चेक पंजी श्री प्रमोद कुमार पूर्व नाजीर को दिनांक 17.08.11 को बैंक द्वारा उपलब्ध कराया गया था। श्री प्रमोद कुमार नाजीर का हस्ताक्षर प्रखण्ड विकास अधिकारी द्वारा सत्यापित है। हालॉकि उक्त चेक पंजी से एक भी चेक का भुगतान बैंक से नही किया गया है। इस संबंध में बैंक से रिपोर्ट प्राप्त किया गया है (अनुलग्नक............)

प्रखण्ड से संबंधित सामान्य रोकड़ पंजी की भी जाँच की गई। यह रोकड़ पंजी दिनांक 21.01.12 तक संधारित है। इसी दिन प्रमोद कुमार पूर्व नाजीर द्वारा श्री इन्द्रभूषण सिंह नीर को मात्र सामान्य रोकड़ पंजी पर प्रभार सौपा गया है। नजारत से संबंधित विभिन्न अभिलेखों एवं अन्य महत्वपूर्ण कागजात यथा चेक पंजी, चेक बुक आदि की लिखित प्रभार सूची हस्तगत नही कराया गया था। रोकड़ पंजी के अवलोकन से स्पष्ट है कि श्री इन्द्र भूषण द्वारा नाजीर का प्रभार ग्रहण करने के पश्चात एक दिन भी रोकड़ पंजी नही लिखी गई है जबकि उक्त तिथि के पश्चात राशि का संव्यवहार प्रखण्ड कार्यालय में किया गया है। सामान्य रोकड़ पंजी के अलावा अन्य समनुषंगी रोकड़ पंजियो का भी संधारण अद्यतन नही है। स्पष्ट है कि सामान्य रोकड़ पंजीयों के साथ-साथ अन्य रोकड़ पंजियाँ भी दो-दो तीन-तीन महीने से नही लिये गये है। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के द्वारा इन रोकड़ पंजीयों का सत्यापन दिनांक 21.01.12 के बाद किया ही नही गया है। चेक बुक से संबंधित चेक पंजीयो का भी संधारण न तो विधिवत किया गया है न ही अद्यतन है, अर्थात् प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा लापरवाही की गई है। चेक बुक तथा चेक पंजी प्रखण्ड नाजीर के संरक्षण मे न रहकर यह अन्य गैर सरकारी व्यक्ति श्री सतीश सिंह के संरक्षण में था। सतीश सिंह इसे मनमौजी ढंग से प्रखण्ड विकास पदाधिकारी से निदेश के आलोक में उपस्थापित किया करता था। ऐसी स्थिति में कार्यालय कर्मियों के सहयोग तथा सतीश सिंह एवं अन्य व्यक्तियों के मिली भगत से चेक गायब कर राशि की निकासी की गई है। इस संबंध में, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी से पूछताॅछ पर उनके द्वारा बताया गया कि उक्त चेक पर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी का जाली हस्ताक्षर किया गया है किन्तु फर्जी निकासी की गई चेक पर वास्तव मे प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, श्रीमती मनीषा तिर्की का हस्ताक्षर असली है या फर्जी, फारेंसिक जाँच कराई जा सकती है।''

10. अब रिपोर्ट दिनांक 1 जून 2012 मे निष्कर्षो की अनदेखी करते हुए जाँच अधिकारी यह लेखबद्ध नही कर सकता था कि अपीलकर्ता का आचरण आशंका से परे है। भले ही, आशंका कितना भी मजबूत क्यो न हो अपीलकर्ता को दोषी ठहराने तथा सेवा से बखास्तगी का दण्ड अधिनिर्णीत करने का आधार नही हो सकता है। ''गुणासेकरन'' मे मा0 उच्चतम न्यायालय ने संकेत दिया कि रिट न्यायालय जांच रिपोर्ट के गुणावगुण की जाँच नही कर सकता है तथा तत्पश्चात जाँच रिपोर्ट में स्पष्ट अवैधता की अनदेखी नही की जा सकती है। विभागीय कार्यवाही मे, जाँच रिपोर्ट का काफी महत्व होता है क्योकि जाँच अधिकारी तथ्यान्वेषी जाँच करता है। *''नरिन्दर, मोहन आर्या बनाम युनाइटेड इण्डिया इंश्योरेन्स क0 लि0'' (2006) 4 एससीसी 713* मे

मा0 उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि जाँच अधिकारी का मात्र स्वयं कहना साबित अपचारी सरकारी कर्मचारी के विरूद्ध आरोप धारित करना पर्याप्त नही है। जाँच रिपोर्ट दिनांक 9 सितम्बर 2014 में जाँच अधिकारी का मात्र स्वयं कहना है तथा इसमे निष्कर्ष अपीलकर्ता के विरूद्ध पेश किसी साक्ष्य पर आधारित नही है। अपीलीय प्राधिकारी जो सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियमावली 1930 तथा बिहार एवं उड़ीसा अधीनस्थ सेवाएँ (अनुशासन तथा अपील) नियमावली 1935 के अन्तर्गत कानूनी नियमों के अधीन शक्तियो का प्रयोग कर रहा था तथ्यात्मक पहलूओ की जाँच करने तथा अपने स्वतंत्र निष्कर्षो को देने के लिए आदेशित था। फिर भी, अपीलीय प्राधिकारी अपने कर्तव्य में असफल था तथा प्रारम्भिक जाँच रिपोर्ट का उल्लेख नही किया था।

11. पूर्वगामी कारणो पर, मेमो सं0 692 दिनांक 21 अक्टूबर 2019 तथा मेमो सं0 303 दिनांक 2 जुलाई 2018 में अन्तर्विष्ट आदेशों को अपास्त किया जाता है।

12. एल0पी0सं0 सं0 547 वर्ष 2023 को अनुज्ञात किया जाता है।

13. परिणाम स्वरूप, रिट याचिका (सेवा) सं0 7007 वर्ष 2019 को अनुज्ञात किया जाता है।

(श्री चन्द्रशेखर, कार्य0 मुख्य न्यायमूर्ति)

(अरूण कुमार राय, न्यायमूर्ति)

(यह अनुवाद 02 शिवा कान्त तिवारी पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया)